

वीरवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्या: जो-52एचए/98-349एचए/88

दिनांक: सितम्बर 17 98

सेवा में,

- 1- समस्त मंचवृत्त प्रबन्धक,
उ०१० वीरवहन निगम।
- 2- प्रधान प्रबन्धक,
कन्द्रीय कार्यालय/सैन कारस्ट कार्यवाहा,
उ०१० वीरवहन निगम, कानपुर।
- 3- प्रधानाचार्य, वृक्षारोप संस्थान,
सैन कारस्ट कार्यवाहा,
कानपुर।
- 4- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ०१० वीरवहन निगम।
- 5- समस्त सेवा प्रबन्धक,
उ०१० वीरवहन निगम।
- 6- समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/वित्त,
उ०१० वीरवहन निगम।
- 7- प्रबन्धक/कार्य सहायक,
उ०१० वीरवहन निगम,
लखनऊ।
- 8- अधीनस्थ अधिकारी/पूर्वनिश्चय,
उ०१० वीरवहन निगम,
लखनऊ।

विषय:- उ०१० राज्य सडक वीरवहन निगम कर्मचारी/अधिकारी विधित्ता एवं वीरवहन नियमावली 1994 के विनियम-26 में संगोथन के सम्बन्ध में।
=====

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं०: जो-129एचए/94-349एचए/88 दिनांक 13-12-94 एवं सं०- जो 37एचए/98-349एचए/88, दि० 18-7-98 के क्रम में अवगत कराना है कि विधित्ता एवं वीरवहन नियमावली 1994 के विनियम-26 में संगोथन हेतु शासन ने धनसहाय सं०: 476/30-2-98-1/94, दिनांक 15-7-98 द्वारा प्रतिरोधी संलग्न है। अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। कृपया उक्त के अनुसार विनियम-26 को संगोथित माना जाये तथा तदनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित करे।
संलग्नक: यथास्त।


भवदीय,


मोहन सिंह
वित्त निदेशक
लखनऊ

संख्या: समसंख्यक एवं समदिनांकित।

प्रतिरोधी निगम के समस्त मान्यता प्राप्त संगोथनों को सूचनायें प्रेषित।

संलग्नक: उपरोक्त।


14/9/98
मोहन सिंह
वित्त निदेशक
लखनऊ